

**न्यायालय जिला कलेक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी**  
**(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)**

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 71/2021 अपील सू.प्र.

**उनवान**

श्री मोतीलाल सिंघानिया निवासी बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उप  
जी 37, रीको 4 फेज, पुर रोड़, जिला निर्वाचन अधिकारी, भीलवाड़ा  
भीलवाड़ा।

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

उपस्थित :-प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

**निर्णय**

दिनांक : 12.10.2021

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 07.09.2021 को प्राप्त हुई जिसमें अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर संख्या 52 एफ 390855 राशि 10.00 रूपये के साथ एक आवेदन दिनांक 26.07.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भीलवाड़ा को प्रेषित किया जो लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भीलवाड़ा को दिनांक 02.08.2021 को प्राप्त हुआ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 20.09.2021 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक 82620 दिनांक 27.09.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं -

1. अपीलार्थी के आवेदन पत्र से चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भीलवाड़ा के पत्रांक 82404 दिनांक 11.08.2021 से अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गयी है जिस पर प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर कर रसीद भी दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।



(शिवप्रसाद एम. नकाते)  
जिला कलेक्टर एवं  
प्रथम अपीलेट अधिकारी  
जिला भीलवाड़ा कलेक्टर  
भीलवाड़ा